रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 369] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 1982/अग्रहायण 16, 1904
No. 369] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 7, 1982/AGRAHAYANA 16, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1982

सा०का०नि० 735 (अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1982 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की अनुसूची में आन्ध्र प्रदेश राज्य से संबंधित क्रम संख्या 1 की प्रविष्टियों के कालम 3 में "आन्ध्र प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में द्वितीय सचिव अथवा सचिव राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् —

"आन्ध्र प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में सरकार के प्रधान सचिव अथवा सचिव राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे"।

[संख्या 11039/1/82—अ०भा०से०I]

दिनेश चन्द्र मिश्र, निदेशक

टिप्पणी —मुख्य विनियमों को दिनांक 6-6-1955 की अधिसूचना सं० 14/2/54—अ०भा०से० (II) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

इसके बाद, आन्ध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मुख्य विनियमों की अनुसूची को निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था :—

1. अधिसूचना सं० 39/13/66—अ०भा०से० III—क, दिनांक 9-5-67,
2. अधिसूचना सं० 11039/4/77—अ०भा०से० I, दिनांक 17-11-77,
3. अधिसूचना सं० 11039/1/80—अ०भा०से० I, दिनांक 12-9-80,
4. अधिसूचना सं० 11039/1/80—अ०भा०से० I, दिनांक 15-12-80,।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administration Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1982

G.S.R. 735 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Andhra Pradesh and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, in the entries against Sl. No. 1 relating to the State of Andhra Pradesh, in column 3 for the entry "Second Secretary or Secretary to the

Government of Andhra Pradesh in the Revenue Department to be nominated by the State Government", the following entry shall be substituted, namely:—

"Principal Secretary to Government or Secretary to the Government of Andhra Pradesh in the Revenue Department to be nominated by the State Government".

[No. 11039/1/82—AIS.I]

D. C. MISRA, Director,

Note : The Principal Regulations were published, vide Notification No. 14/2/54-AIS. (II), dated 6-6-1955.

Subsequently the Schedule to the Principal Regulations pertaining to the State of Andhra Pradesh was amended by:—

(1) Notification No. 39/13/66-AIS. (III)-A, dated 9-5-67.
(2) Notification No 11039/4/77-AIS. (I), dated 17-11-77.
(3) Notification No. 11039/1/80-AIS. I, dated 12-9-80.
(4) Notification No. 11039/1/80-AIS. I, dated 15-12-80.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982